नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

विधायक राजेंद्र भारती को जेल के बाद बेल

- राजेंद्र भारती को मिली थी 3 साल की सजा
- 27 साल पुराने जालसाजी मामले में कोर्ट का फैसला

ग्वालियर, 02 अप्रैल. दिल्ली की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को साल 1998 के एक एफडी में हेराफेरी मामले को लेकर दोषी करार देते हुए 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है, हालांकि सजा के तुरंत बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है.

यह पूरा मामला उस समय का है जब भारती जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष थे और उन पर अपने पिता के संस्थान के नाम पर कराई गई 10 लाख की एफडी के ब्याज को फर्जी दस्तावेजों के जरिए निकालने का आरोप सिद्ध हुआ है.

अदालत ने उन्हें आपराधिक साजिश (120बी) और धोखाधड़ी (420, 467, 468, 471) जैसी गंभीर धाराओं के तहत सजा सुनाई है, जिसमें उनके साथ बैंक लिपिक रघुवीर प्रजापति को भी दोषी माना गया है.

नियमत: दो साल से अधिक की सजा होने के कारण भारती की विधानसभा सदस्यता पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन यदि वे अगले 60 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील कर सजा पर स्थगन प्राप्त कर लेते हैं, तो उनकी विधायकी सुरक्षित रह सकती है. 3 मार्च 2011 को बैंक अध्यक्ष बने भाजपा नेता पप्पू पुजारी मामले को सामने लाए. सहकारिता विभाग के तत्कालीन संयुक्त पंजीयक अभयखरे ने जांच की, जिसमें एफडी पर ऑडिट आपत्ति दर्ज हुई. 2012 में भारती ने बैंक से एफडी की राशि मांगी, लेकिन ऑडिट आपत्ति के चलते भुगतान से इनकार किया गया.

भुगतान न मिलने पर भारती उपभोक्ता फोरम पहुंचे, जहां से राहत नहीं मिली. राज्य उपभोक्ता फोरम से राहत मिलने के बाद मामला राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां से भी राहत नहीं मिली. इसके बाद 2015 में तत्कालीन कलेक्टर प्रकाशचंद्र जांगड़े ने आपराधिक मामला दर्ज कराने की पहल की. कोर्ट के आदेश पर आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज हुआ. एमपी-एमएलए कोर्ट गठन के बाद मामला ग्वालियर पहुंचा और अक्टूबर 2025 में इसे दिल्ली एमपी-एमएलए कोर्ट स्थानांतरित किया गया.

विधायक संजय पाठक के खिलाफ दर्ज किया जाये अपराधिक अवमानना का प्रकरण : हाईकोर्ट

जबलपुर, 02 अप्रैल. हाईकोर्ट जज से सीधे संपर्क करने के मामले में भाजपा विधायक व पूर्व राज्य मंत्री संजय पाठक की मुश्किल बढ गयी हैं. चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने दायर याचिका की सुनवाई करते हुए विधायक संजय पाठक के खिलाफ अपराधिक अवमानना का प्रकरण दर्ज किये जाने के आदेश जारी किये हैं.

कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि विधायक संजय पाठक से संबंधित कंपनी के खिलाफ अवैध उत्खनन के मामले में हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा ने 1 सितम्बर 2025 को सुनवाई से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट जस्टिस ने अपने आदेश में कहा था कि विधायक ने उससे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया. जिसके कारण वह सुनवाई से खुद को अलग कर रहे है. जस्टिस विशाल मिश्रा ने निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था. उन्होंने इस पूरे प्रकरण को प्रशासनिक स्तर पर चीफ जस्टिस के समक्ष भेजने का निर्देश भी दिया था.

याचिका में कहा गया था कि विधायक का यह कृत्य न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने तथा गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है. इस संबंध में याचिकाकर्ता की तरफ से संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायत भी दर्ज कराई थी. उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने के कारण उक्त याचिका दायर की गयी है. याचिका में विधायक संजय पाठक के खिलाफ कार्यवाही की मांग चाही गयी थी. याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये. याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव और पुनीत श्रोती ने पैरवी की.

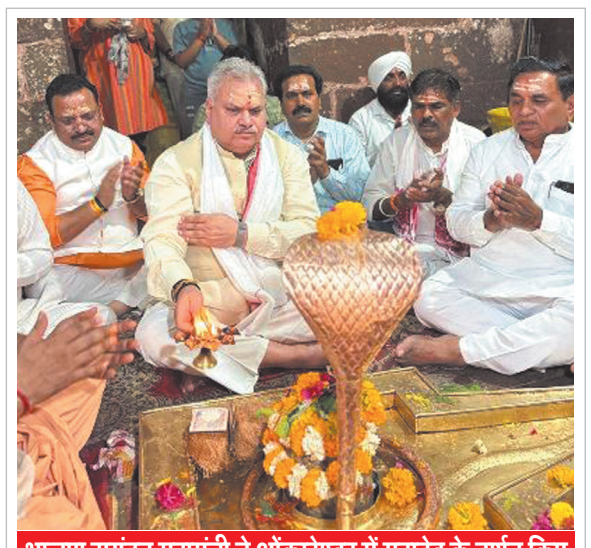

भाजपा सगंठन महामंत्री ने ओंकारेश्वर में महादेव के दर्शन किए

ओंकारेश्वर. भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने गुरुवार को ओंकारेश्वर में भगवान महादेव जी के दर्शन-पूजन कर देश-प्रदेश में खुशहाली और कल्याण की कामना की. इस अवसर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेन्द्र शर्मा सहित जिला पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

शराब नशे के हालत में मिलने पर शिक्षक सस्पेंड

सिंगरौली. शासकीय प्राथमिक पाठशाला मझौली टोला मझिगवां 2 में पदस्थ शिक्षक लखपति सिंह को कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी एसबी सिंह ने निलंबित कर दिया है. टोला मझिगवां-2 के शिक्षक लखपति सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया में पिछले माह 18 मार्च को वायरल हुआ था. कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच किया, जहां शिक्षक शराब के नशे के हालत में था. शराब इतना पिया हुआ था कि वह ठीक से बोल नही पा रहा था. स्कूली बच्चों एवं अभिभावको से अभद्र भाषाओं का उपयोग कर रहा था. जिससे अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था. जांच के बाद जवाब न मिलने पर डीईओ ने शिक्षक को निलंबित कर दिया.

ओबीसी आरक्षण मामले में 27 से नियमित सुनवाई

जबलपुर. मप्र में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के संबंधित दायर याचिकाओं पर 27 अप्रैल से तीन दिनों तक नियमित सुनवाई होगी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने सभी संबंधित पक्षकारों को नियमित सुनवाई के तीन दिन पूर्व तक दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये हैं. गौरतलब है कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किये जाने के पक्ष तथा विपक्ष में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कुछ याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने पर रोक लगा दी थी. विपक्ष में दायर याचिका में कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा साहनी तथा मराठा आरक्षण के संबंध में दायर याचिकाओं में स्पष्ट कहा गया है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिये. कुछ याचिकाओं में याचिकाओं में फार्मूला 87:13 को चुनौती देते हुए 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर आपत्ति की गयी थी. पक्ष में दायर की गयी याचिकाओं में आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग की गयी थी. याचिकाओं पर पिछली सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के संबंध में दायर एसएलपी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट वापस भेजते हुए सुनवाई के निर्देश दिये थे. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किये है कि प्रकरणों की सुनवाई के लिए विशेष बेंच का गठन किया जाये. विशेष न्यायालय तीन माह में याचिका का निराकरण करें. युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों को 15 अप्रैल तक दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये थे.

पूर्व प्रबंधक और सहयोगी को सजा

सीबीआई की अदालत ने पीयूष और मोहन को सात साल की सजा सुनाई

नयी दिल्ली, 02 अप्रैल. मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) के पूर्व वरिष्ठ शाखा प्रबंधक और उसके सहयोगी को सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

अदालत ने जेल की सजा सुनाते हुए दोनों आरोपियों-पीयूष चतुर्वेदी (जो उस समय बीओआई की मिसरोद शाखा, भोपाल के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक थे) और मोहन सिंह सोलंकी (एक निजी व्यक्ति) पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

> **आरोपियों ने रकम का गबन किया**
>
> ऋण मंजूर करने के बाद चतुर्वेदी ने अपने सह-आरोपी मोहन सिंह सोलंकी के साथ मिलकर साजिश रची और ऋण की रकम एम/एस अजब कुमार इंडस्ट्रीज के खाते में स्थानांतरित कर दी. इस कंपनी की मालिक कृष्णा बाई सोलंकी (मोहन सिंह सोलंकी की पत्नी) थीं. इसके बाद आरोपियों ने उस रकम का गबन कर लिया, जिससे बैंक को गलत तरीके से नुकसान हुआ और उन्हें गलत तरीके से फायदा पहुंचा. सीबीआई ने जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया. अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई.

सीबीआई ने 2016 में बीओआई के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के तत्कालीन उप क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा दायर एक लिखित शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया था. आरोप था कि पीयूष चतुर्वेदी ने धोखाधड़ी और बेईमानी से 'विजन कम्प्यूटर' के नाम पर 27 लाख रुपये का सावधि ऋण मंजूर किया था.

भोजशाला प्रकरण में 6 अप्रैल से प्रतिदिन सुनवाई

धार, 2 अप्रैल. मध्यप्रदेश में धार स्थित भोजशाला प्रकरण में इंदौर हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल से नियमित रूप से प्रतिदिन सुनवाई करने का निर्णय लिया है. न्यायालय ने सुनवाई का समय प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे निर्धारित किया है.

हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी शामिल हैं, ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि नियमित सुनवाई के पहले दिन याचिकाकर्ताओं को सुना जाएगा, इसके बाद आपत्तिकर्ताओं के पक्ष को सुना जाएगा. सुनवाई के दौरान हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और विनय जोशी उपस्थित रहे. वहीं मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसायटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े. याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने कहा कि प्रतिदिन सुनवाई शुरू होने से मामले में शीघ्र न्याय मिलने की उम्मीद है.

दरअसल, भोजशाला को लेकर वर्ष 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा उच्च न्यायालय इंदौर में याचिका दायर की गई थी. इस प्रकरण में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 98 दिनों तक सर्वे कर 2189 पृष्ठों की विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी.

तहसीलदार को प्रशासन ने किया सस्पेंड

- कार्रवाई श्योपुर कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर की
- बाढ़ राहत घोटाले मामले में हुई थी गिरफ्तार

ग्वालियर, 02 अप्रैल. बाढ़ राहत घोटाले में गिरफ्तार होकर पिछले पांच दिनों से शिवपुरी जेल में बंद तहसीलदार अमिता सिंह तोमर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. चंबल कमिश्नर सुरेश कुमार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई श्योपुर कलेक्टर अर्पित वर्मा की रिपोर्ट के आधार पर की गई है.

दरअसल बड़ौदा तहसील में बाढ़ राहत राशि वितरण के दौरान करीब ढाई करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया था. अमिता सिंह तोमर पर फर्जीवाड़ा कर अपात्र लोगों को मुआवजा बांटने के गंभीर आरोप हैं. इस मामले में उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज है और जांच जारी है.

> गिरफ्तारी से एक दिन पहले ही कलेक्टर अर्पित वर्मा ने उन्हें पद से हटा दिया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया. निलंबन के दौरान उन्हें नियमानुसार गुजारा भत्ता मिलेगा और उनका मुख्यालय भी निर्धारित किया जाएगा, जहां उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.

26 मार्च को बड़ौदा बाढ़ राहत घोटाले में बड़ा एक्शन लेते हुए श्योपुर की बड़ौदा पुलिस ने अमिता सिंह तोमर को ग्वालियर स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया था. उन्हें न्यायिक हिरासत में शिवपुरी जेल भेज दिया गया, जहां वे पिछले पांच दिनों से बंद हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को निर्धारित है. अमिता सिंह तोमर श्योपुर जिले के विजयपुर में तहसीलदार के पद पर पदस्थ थीं.

होलकर साइंस कॉलेज में परीक्षा के दौरान हंगामा

इंदौर. भंवरकुआं स्थित होलकर साइंस कॉलेज में आंतरिक परीक्षा के दौरान छात्रों के एक समूह ने हंगामा कर मारपीट और तोड़फोड़ कर दी. घटना से कुछ देर के लिए परीक्षा प्रक्रिया बाधित हो गई. थाना प्रभारी राजकुमार यादव ने बताया कि बुधवार दोपहर 1 से 2 बजे के बीच कॉलेज की प्रयोगशाला क्रमांक-1 में एमएससी प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर की सीसीई परीक्षा चल रही थी. इसी दौरान करीब 1:35 बजे 15-20 छात्र जबरन कंप्यूटर लैब में घुस आए. इनमें विकेंद्र, लोकपाल, चमनदीप, अभय गुर्जर सहित अन्य छात्र शामिल बताए जा रहे हैं. आरोप है कि छात्रों ने अंदर घुसते ही अभिषेक जाट नामक छात्र के साथ मारपीट शुरू कर दी.

कपूर त्रिपाठी को स्थानांतरण मामले में हाईकोर्ट से राहत

सिंगरौली, 02 अप्रैल. मोरवा थाने के पूर्व प्रभारी कार्यवाहक निरीक्षक कपूर त्रिपाठी को उनके स्थानांतरण मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है. त्रिपाठी ने पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश के खिलाफ 28 मार्च 26 को रिट पिटीशन दायर की थी.

मामले की सुनवाई 2 अप्रैल को सिंगल बेंच में न्यायाधीश मनिंदर एस. भाटी द्वारा की गई, जहां उन्हें राहत प्रदान की गई. वहीं, प्रकरण की अगली सुनवाई 8 अप्रैल 2026 को निर्धारित की गई है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता कपूर त्रिपाठी की ओर से सीनियर एडवोकेट के.सी. घिल्डियाल के मार्गदर्शन में अधिवक्ता ब्रमेंद्र पाठक, आतिश यादव, राममिलन साकेत सहित अन्य ने पक्ष रखा. अधिवक्ता आतिश कुमार यादव के अनुसार, न्यायालय से स्टे मिलने के बाद कपूर त्रिपाठी के दोबारा मोरवा थाना का प्रभार संभालने की स्थिति बन गई है.

पीएनबी से 3.36 करोड़ की धोखाधड़ी

3.50 करोड़ का लोन कोल्ड स्टोरेज के नाम पर लिया

4 करोड़ की संपति अटैच, रकम अन्य खातों में डायवर्ट की थी

ईडी की चार्जशीट, आरोपियों को नोटिस

इंदौर, 02 अप्रैल. पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राम पाटीदार और उसके सहयोगियों के खिलाफ विशेष न्यायालय (पीएमएलए) इंदौर में अभियोजन शिकायत पेश की है.

कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर दिए हैं. ईडी की अधिकृत जानकारी के अनुसार मामला सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर सामने आया था, जिसमें बैंक को धोखा देकर आर्थिक नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे.

> जांच में खुलासा हुआ कि राम पाटीदार ने एम/एस नर्मदा शीत गृह के नाम पर कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए 3.50 करोड़ रुपए का टर्म लोन लिया था. हालांकि, लोन राशि का उपयोग निर्माण कार्य में करने के बजाय उसे विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दिया. यह रकम पाटीदार के नियंत्रण वाले खातों के साथ ही परमआनंद पाटीदार, महेंद्र पाटीदार, मिथुन डावर सहित अन्य सहयोगियों के खातों में डायवर्ट की गई. इस तरह आरोपियों ने बैंक को करीब 3.36 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया. ईडी ने इससे पहले मामले में लगभग 4 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की थीं.

लॉरेंस गैंग का राजपाल सरेंडर फायरिंग मामले का खुलासा

उज्जैन, 2 अप्रैल. मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में कुख्यात लॉरेंस गैंग से जुड़े शूटर राजपाल ने पुलिस दबाव के चलते आत्मसमर्पण कर दिया. उसने खरगोन में हुए फायरिंग कांड को लेकर भी कई खुलासे किए हैं.

पुलिस के अनुसार नागदा के रत्नाखेड़ी निवासी राजपाल पर गैंग से जुड़े होने और फरार आरोपियों को सहयोग देने के आरोप थे. वह खरगोन जिले के कसरावद थाना क्षेत्र में व्यापारी दिलीप राठौर के घर पर हुई फायरिंग की घटना में वांछित था, जिसकी तलाश एसआईटी और पुलिस लंबे समय से कर रही थी.

लगातार दबिश के चलते राजपाल ने गुरुवार को अपने गांव में पुलिस को बुलाकर सरेंडर कर दिया. इससे पहले उसने मीडिया के सामने दावा किया कि संबंधित व्यापारी किसानों के साथ अत्याचार करता था और इसी कारण उसे निशाना बनाया गया. उसने कहा कि पहले हमले की कोशिश असफल रही, जिसके बाद हेरी बॉक्सर के माध्यम से वारदात को अंजाम दिया गया.

> उल्लेखनीय है कि राजपाल का नाम पूर्व में भी कई आपराधिक मामलों में सामने आ चुका है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मोहाली स्थित खुफिया विभाग मुख्यालय पर हुए रॉकेट लॉन्चर हमले के मामले में आरोपी दीपक रंगा को शरण देने के आरोप में उससे पूछताछ की थी. सूत्रों के अनुसार पुलिस दबाव और संभावित मुठभेड़ के डर के चलते राजपाल ने पहले वीडियो जारी कर सरेंडर की बात कही और बाद में स्वयं पुलिस को बुलाकर आत्मसमर्पण किया. उसे हिरासत में लेने के लिए खरगोन पुलिस नागदा पहुंची थी.

रसोई गैस की किल्लत नहीं अव्यवस्था से जूझ रही जनता

छिन्दवाड़ा, 2 अप्रैल. मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं जिले के पूर्व सांसद नकुलनाथ आज छिंदवाड़ा पहुंचे. ईमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर उपस्थित कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्प गुच्छ व पुष्पहार भेंट कर आत्मीय स्वागत किया.

ईमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर मीडिया ने पूर्व सीएम कमलनाथ से रसोई गैस की किल्लत पर प्रश्न किया. प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा कि रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है. जिले, प्रदेश व देश की जनता सरकार द्वारा उत्पन्न की गई अव्यवस्थाओं का शिकार हो रही। इस अव्यवस्था के लिए सरकार जिम्मेदार है. अव्यवस्थाओं के चलते ही कमी का माहौल बनाया गया है.

मंहगाई भत्ता | शासकीय सेवकों को 55 फीसदी से बढ़ाकर 58 फीसदी दिया जाएगा

3 फीसदी डीए बढ़ाने के आदेश भी जारी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 2 अप्रैल. वित्त विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के शासकीय सेवकों के 3 फीसदी मंहगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं. अब तक शासकीय सेवकों को 55 फीसदी डीए दिया जा रहा था, अब ये बढ़कर 58 फीसदी हो गया है.

आदेश के मुताबिक तीन फीसदी की बढ़ोतरी एक जुलाई 2025 की अवधि से लागू होगी. प्रदेश के शासकीय सेवकों को एक अप्रैल 2026 से बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा, यानी अप्रैल का वेतन जो कि मई में देय होगा, उसमें तीन फीसदी डीए बढ़कर

मिलेगा. वहीं एक जुलाई 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक की अवधि का एरियर 6 समान किश्तों में मिलेगा. ये क्रमश: मई से लेकर अक्टूबर तक लगातार मिलते रहेगा. ऐसे शासकीय सेवक जो कि एक जुलाई 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक की अवधि में रिटायर हुए हैं या मृत हो गए हैं, ऐसे मामलों में उन्हें या नामांकित सदस्य को एरियर की राशि का भुगतान एक मुश्त किया जाएगा.

तीन फीसदी डीए का फायदा प्रदेश के 7.5 लाख से अधिक शासकीय सेवकों को मिलेगा. नए आदेश के मुताबिक चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों को प्रतिमाह 465 से लेकर 556 रुपए तक का फायदा होगा, वहीं तृतीय श्रेणी शासकीय सेवकों को 585 से 1473 रुपए प्रतिमाह का फायदा होगा. इसी तरह द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को 1683 से 2019 रुपए तक अतिरिक्त फायदा होगा, वहीं प्रथम श्रेणी अधिकारियों को अब 2397 से लेकर 4230 रुपए तक प्रतिमाह फायदा होगा.

> **पेंशनरों को डीआर के भी आदेश जारी**
>
> वित्त विभाग ने गुरुवार को पेंशनरों को भी मंहगाई राहत देने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं. प्रदेश के पेंशनरों को एक जनवरी 2026 से बढ़े हुए पेंशन का लाभ मिलेगा. सातवें वेतनमान वालों का मंहगाई राहत अब 3 फीसदी बढ़ गया है, इससे अब डीआर 55 से बढ़कर 58 फीसदी हो गया है. वहीं छठवें वेतनमान वाले पेंशनरों के डीआर में 5 फीसदी बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण अब ये 252 से बढ़कर 257 फीसदी हो गया है. इस आदेश से प्रदेश के लगभग 4.5 लाख पेंशनरों को फायदा होगा. पेंशनरों को जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक की अवधि में बढ़े हुए डीआर का फायदा नहीं मिलेगा.

भोपाल के खनन कारोबारी पर एफआईआर दर्ज

जबलपुर. मझगवां थाना अंतर्गत ग्राम गिदुरहा में आयरन ओर (लोह अयस्क) के अवैध उत्खनन मामले में भोपाल निवासी विजय पटेल के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम गिदुरहा तहसील सिहोरा की भूमि खसरा नंबर 708 के करीब 1.81 हेक्टेयर रकबे में आयरन ओर का अवैध उत्खनन किया जा रहा था. इसकी सूचना मिलते ही बीते 24 मार्च 2026 को नायब तहसीलदार सिहोरा द्वारा मौके पर छापामार कार्रवाई की गई थी. जांच के दौरान अवैध खनन स्थल पर पोकलेन मशीन लोह अयस्क की खुदाई करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई थी. प्रशासन ने तत्काल मशीन को जप्त कर सुरक्षा की दृष्टि से मझगवां थाना परिसर में खड़ा करवा दिया था. कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ.